रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 181] नई दिल्ली बृहस्पतिवार, मार्च 30, 1972/चैत्र 10, 1894
No. 181] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 30, 1972/CHAITRA 10, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

New Delhi, the 30th March 1972

S.O. 248(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of International Trade No. S.O. 3548, dated the 17th December, 1963, read with the Orders of the Government of India, in the late Ministry of Commerce No. S.O. 4205, dated the 22nd November, 1968, and in the late Ministry of Foreign Trade and Supply Nos. S.O. 741, dated the 20th February, 1969, and S.O. 4433, dated the 30th October, 1969, and in the Ministry of Foreign Trade No. S.O. 1098, dated the 17th March, 1970, and S.O. 1267, dated the 22nd March, 1971, the management of the whole of the industrial undertaking known as the Bengal Nagpur Cotton Mills Limited, Rajnandgaon, had been taken over by the Authorised Controller referred to in the Order first mentioned above for a period upto and including the 31st March, 1972.

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking by the said Authorised Controller should continue for a further period of one month upto and including the 30th April, 1972.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to Sub-section (2) of Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the order first mentioned above shall continue to have effect for a further period upto and including the 30th April, 1972.

[No. F. 9(1)/69-TEX(G)]

K. KISHORE, Jt. Secy.

विदेश व्यापार मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1972

का० आ० 248(अ).—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 4205 दिनांक 22 नवम्बर, 1968 और विदेश व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 741 दिनांक 20 फरवरी, 1969, तथा का०आ० 4433, दिनांक 17 मार्च, 1970 और का०आ० 1267, दिनांक 22 मार्च, 1971 के साथ पठित भारत सरकार के भूतपूर्व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 3548 दिनांक 17 दिसम्बर, 1963 द्वारा दि बंगाल नागपुर काटन मिल्स लिमिटेड, राजनन्दगांव नामक सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उपर्युक्त अन्तिम आदेश में निर्दिष्ट प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा 31 मार्च, 1972 तक के लिए, जिस में यह तारीख भी शामिल है, ग्रहण कर लिया गया था ।

और यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त प्राधिकृत नियन्त्रक द्वारा उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण 30 अप्रैल, 1972 तक एक महीने की अगामी अवधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, और बना रहना चाहिए ।

अतः, अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उपरिवर्णित अन्तिम आदेश का प्रभाव 30 अप्रैल, 1972 तक की अगामी अवधि के लिये और बना रहेगा ।

[सं० फा० 9(1)/69-टैक्स (जी)]

के० किशोर, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972